न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–339 / 2026
लालगंज थाना कांड सं0–432 / 2025
धारा–309(4) BNS Act.

08.04.2026 दिनांक 30.10.2025 से प्रस्तुत वाद मे काराधीन अभियुक्त अमित शंकर शर्मा उर्फ अमित शंकर कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक संतोष कुमार द्वारा थानाध्यक्ष लालगंज थाना को टंकित आवेदन इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 06.09.2025 को रात्रि मे दुकान बंद करके सो रहा था तब समय 12:30 बजे अचानक किराना दुकान से खट खट की आवाज आई जिसपर मैने देखा कि एक व्यक्ति गल्ला तोड़कर रूपया निकाल रहा है और दुसरा व्यक्ति गेट पर खड़ा था मैने रूपया निकाल रहे व्यक्ति को पकड़ लिया लेकिन वह धक्का देकर मुझे गिरा दिया और दोनो मुझ पर रिवाल्वर तान दिया मै जान बचाकर सभी परिवार बाहर निकल कर भाग गये। अपराधी चार आदमी थे जो चार चक्का वाहन से आया था और मुँह मे गमछा लपेटे हुये था लेकिन धक्का देने वाला अपराधी का गमछा गिर गया था जिसे मै नाम से नही जानता हूँ लेकिन देखकर पहचान सकता हूँ। सारी घटनाए का सजिश दिलीप पासवान पर आकृष्ट हो रहा है।"

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक प्रस्तुत वाद मे दिनांक 30.10.2025 से काराधीन है। आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। अभियुक्त के विरूद्ध तीन अपराधिक इतिहास है तथा अभियुक्त को वैशाली थाना कांड सं0–644 / 2025 से इस वाद मे दिनांक 30.10.2025 को रिमाण्ड किया गया है तब से इस वाद मे काराधीन है। अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है। अभियुक्त का पहचान परेड कराया गया था लेकिन इस वाद के सूचक ने उसका पहचान. नही किया। इस वाद के सह अभियुक्तो को इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे जमानत की सुविधा प्रदान किया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

Web copy not Official

लगातार
08.04.2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक अन्य सह अभियुक्तो के साथ मिलकर सूचक के दुकान मे रखे रूपये का लूटने का प्रयास किया तथा सूचक को जान मारने का भी प्रयास किया। आवेदक द्वारा किया गया कार्य गंभीर प्रकृति का है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक का नाम सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मामले मे संलिप्त किया गया है। आवेदक के विरूद्ध केवल इतना ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि वह घटना के समय घटना स्थल के आस पास था। सूचक ने पहचान परेड मे अभियुक्त की पहचान भी नही की है तथा इनही आधारो पर अन्य सह अभियुक्तगणो को पूर्व मे जमानत का लाभ दिया गया है एवं मामले मे आरोप गठन हो चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप आवेदक की ओर से 10,000 (दस हजार) रूपये के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	08-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	08-04-2026
Uploading Date	08-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy not Official